GCMS No:- 2025/76

फर्द–अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 6वां फ्लोर, प्लॉट नं0 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44, गुरूग्राम हरियाणा– 122003 क्षेत्रीय कार्यालय–प्लॉट नम्बर ए–94,95प्रथम तल,आखलिया विकास योजना,शिवगौरी प्लाजा,जोधपुर जरिऐ अधिकृत विनय राणा		1. श्रीमती सलमा पत्नी श्री मो. अनवर पता वार्ड नं. 15,सिगालो का बास,नागौर 2. श्री मो. अनवर पुत्र श्री गुलाम मो. पता वार्ड नं. 15,सिगालो का बास,नागौर

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 68 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14/5/25	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण/ऋणी को रूपये 3,51,987/–ऋण सुविधा दिनांक 13.03.20216 एवम् दिनांक 22.12.2021 को आवासीय एवं OD ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जाकर अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज् में एस.आर. नं. 201101240092,अजमेरी गेट के अंदर,सिगालों का बास का एरिया 77.11 स्केवयर फिट सम्पति प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक किया जाना प्रकट किया हैं तथा इस बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इन नियमों के तहत पुलिस इमदाद चाही हैं। पत्रावली के साथ प्रस्तुत ऋण आवेदन–पत्र का अवलोकन करने से उक्त आवेदन–पत्र के संलग्न धारा 13(2) नोटिस के अवलोकन से उक्त नोटिस ऋणी मृतक मो. अनवर के वारिसान को जारी किया गया हैं। इस नोटिस में मृतक मो. अनवर के वारिसान का नाम दर्ज नहीं हैं,इसलिए इस नोटिस को विधिक नोटिस नहीं माना जा सकता हैं। प्रार्थी कम्पनी को मृतक के विधिक उतराधिकारियों का प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर उन उतराधिकारियों को उनके नाम से नोटिस दिया जाना था, जो नहीं दिया गया हैं। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 मो. अनवर को बनाया गया हैं,जिसका प्रार्थना–पत्र में जारी नोटिस दफा 13(2) के अनुसार स्वर्गवास हो चुका हैं। इसलिए मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया गया यह प्रार्थना–पत्र विधि सम्मत् नहीं होने से खारिज योग्य हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो। (अरूण कुमार पुरोहित) **जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, नागौर**	